न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
020/2021 (रसद) (GCMS 2021/397)	01.10.2021	24.11.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये ज्योति खटीक, प्रवर्तन निरीक्षक कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

कमल कुमार गर्ग, उचित मूल्य दुकानदार रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

विपक्षी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आवेदक ज्योति खटीक, प्रवर्तन निरीक्षक कपासन ने आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07.09.2021 को उपखण्ड अधिकारी कपासन से दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के आधार पर आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक कपासन कमल कुमार गर्ग, उचित मूल्य दुकान रोलिया 1/2 तहसील कपासन पोस कोड 24309 की जाँच के लिये दिनांक 08.09.2021 को मौके पर पहुँची। मौके पर उचित मूल्य दुकान उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा दिनांक 07.09.2021 को सील चस्पा किया जाना पाया गया। मौके पर उचित मूल्य दुकान पर लगी सील को आवेदक द्वारा मौतबिरानों के समक्ष हटाया गया। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार कमल कुमार गर्ग से उचित मूल्य दुकान पर लगे ताले की चाबी के लिये पूछा गया तो चाबी ग्राम विकास अधिकारी रोलिया तहसील कपासन के पास होना बताया गया। मौके पर ग्राम विकास अधिकारी रोलिया से दूरभाष पर सम्पर्क कर चाबी मंगवाई गई। मौके पर उचित मूल्य दुकान को खुलवाया गया। भौतिक सत्यापन में मौके पर 160 गेहूँ के पैक कट्टे व 30 किग्रा. खुले कट्टे में गेहूँ पाये गये। 1 गेहूँ के कट्टे का औसत वनज 50 किग्रा. मानते हुए मौके पर कुल गेहूँ की मात्रा

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

8030 किग्रा. पाई गई। पोस मशीन में स्टॉक की जाँच करने पर अन्य सहायता गेहूँ 16 किग्रा. PMGKAY गेहूँ 2590 किग्रा., BPL/SBPL/AAY गेहूँ 2224 किग्रा. APL गेहूँ 1891.6 किग्रा. कुल गेहूँ की मात्रा 6721.6 किग्रा.। इस प्रकार उचित मूल्य दुकान पर भौतिक रूप से 1308.4 किग्रा. गेहूँ की मात्रा का आधिक्य पाया गया। उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जाना पाया गया। कमल कुमार गर्ग, उचित मूल्य दुकानदार से गेहूँ की मात्रा की अधिकता की पूछताछ करने पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बताया गया कि जन आधार KYC प्रपत्र की सीडिंग के फॉर्म भरने के कारण उपभोक्ताओं से KYC संबंधी डॉक्यूमेन्ट्स लेकर उनका फिंगर लगवा दिया था, उपभोक्ताओं को गेहूँ देना बाकी था। दिनांक 07.09.2021 को उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित किये गेहूँ की दैनिक रिपोर्ट की पर्ची द्वारा कुल 1685 किग्रा. गेहूँ के वितरण की बताई (पर्ची संलग्न) जिसमें उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बताया गया कि अधिकतर उपभोक्ताओं के गेहूँ भौतिक रूप से नहीं देना बताया गया। कमल कुमार गर्ग उचित मूल्य दुकान रोलिया 1/2 तहसील कपासन की दिनांक 08.09.2021 को की गई जाँच के अनुसार उचित मूल्य दुकान पर कुल 1308.4 किग्रा. गेहूँ की अधिकता पाई गई। उचित मूल्य दुकानदार का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 15 एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिक पायी गई गेहूँ की 1308.4 किग्रा. मात्रा को अभिग्रहित कर प्रेमशंकर बारेगामा उचित मूल्य दुकानदार कोलपुरा ग्राम पंचायत रोलिया तहसील कपासन पोस कोड 24311 को सुपुर्दगी में दिया गया। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रकरण में अभिग्रहित 1308.4 किग्रा. गेहूँ को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 24.11.2021 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

दिनांक 24.11.2021 को हाजिर पैरोकार सरकार प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस एक तरफा को सुना गया। पैरोकार सरकार अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 07.09.2021 को उपखण्ड अधिकारी कपासन से दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के आधार पर उचित मूल्य दुकान रोलिया 1/2 तहसील कपासन पोस कोड 24309 की जाँच की गई। मौके पर उचित मूल्य दुकान को खुलवाया गया। भौतिक सत्यापन में मौके पर 160 गेहूँ के पैक कट्टे व 30 किग्रा. खुले कट्टे में गेहूँ पाये

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

गये। 1 गेहूँ के कट्टे का औसत वनज 50 किग्रा. मानते हुए मौके पर कुल गेहूँ की मात्रा 8030 किग्रा. पाई गई। पोस मशीन में स्टॉक की जाँच करने पर अन्य सहायता गेहूँ 16 किग्रा. **PMGKAY** गेहूँ 2590 किग्रा., **BPL/SBPL/AAY** गेहूँ 2224 किग्रा. **APL** गेहूँ 1891.6 किग्रा. कुल गेहूँ की मात्रा 6721.6 किग्रा.। इस प्रकार उचित मूल्य दुकान पर भौतिक रूप से 1308.4 किग्रा. गेहूँ की मात्रा का आधिक्य पाया गया। उचित मूल्य दुकान पर उचित मूल्य दुकानदार से गेहूँ की मात्रा की अधिकता की पूछताछ करने पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बताया गया कि जन आधार **KYC** प्रपत्र की सीडिंग के फॉर्म भरने के कारण उपभोक्ताओं से **KYC** संबंधी डॉक्यूमेन्ट्स लेकर उनका फिंगर लगवा दिया था, उपभोक्ताओं को गेहूँ देना बाकी था। दिनांक 07.09.2021 को उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित किये गेहूँ की दैनिक रिपोर्ट की पर्ची द्वारा कुल 1685 किग्रा. गेहूँ के वितरण की बताई (पर्ची संलग्न) जिसमें उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बताया गया कि अधिकतर उपभोक्ताओं के गेहूँ भौतिक रूप से नहीं देना बताया गया। उचित मूल्य दुकान रोलिया 1/2 तहसील कपासन की दिनांक 08.09.2021 को की गई जाँच के अनुसार उचित मूल्य दुकान पर कुल 1308.4 किग्रा. गेहूँ की अधिकता पाई गई। उचित मूल्य दुकानदार का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 15 एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गेंहू मय बारदान राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हमने फर्द मौका का अवलोकन किया। मौके के गवाहान के बयानों का अवलोकन किया। विपक्षी से जब्तशुदा गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाना होना प्रमाणित हैं। विपक्षी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री का अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा कालाबाजारी करने के लिए अवैध रूप से विक्रय करना प्रमाणित पाया जाता हैं। इस हेतु विपक्षी पूर्णतः जिम्मेदार हैं। विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाये जाने से पत्रावली पर किसी भी प्रकार का आवेदन का खण्डन उपलब्ध नहीं हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

1976 के तहत जब्तशुदा गेहूँ 1308.4 किलोग्राम मय बारदाना को राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं दिनांक 08.09.2021 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी कमल कुमार गर्ग, उचित मूल्य दुकानदार रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से जब्त शुदा 1308.4 किलोग्राम गेहूँ मय बारदाना को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गेहूँ मय बारदाना के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>24.11.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official